# न्यायालय सीनियर सिविल जज, विकासनगर, देहरादून
## मूल वाद संख्या–112 वर्ष 2022
## श्रीमती रजनी तोमर बनाम सुरेश गुरूंग आदि

**दिनांक–22.05.2023**

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आई0सी0 रमोला एवं वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप कुमार न्यायालय में उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र कागज संख्या–20सी2 पर पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली आज उक्त प्रार्थनापत्र पर आदेश हेतु नियत है।

**निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं0 20सी2**

**2.** प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र कागज सं0 20सी2 संक्षेप में इस आशय के अभिवाक सहित प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण द्वारा वर्तमान वाद दिनांक 07.07.2022 को न्यायालय के समक्ष असत्य कथनों के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है। वादीगण द्वारा वादपत्र में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई वाद कारण प्रदर्शित नहीं किया गया। सम्पूर्ण वादपत्र में यह प्रदर्शित नहीं है कि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के मध्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कभी कोई विवाद हुआ हो। वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 1 व 2 को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से वर्तमान वाद योजित किया गया है। वादपत्र के नाम चरण में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता का नाम व निवास स्थान भी गलत प्रदर्शित किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता का नाम सूरज बहादुर गुरूंग है तथा आपस में सगे भाई हैं तथा जिला देहरादून में ही निवास करते है। जबकि वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 1 व 2 को रजीया बिल्डिंग, हरीनगर, नई दिल्ली का होना प्रदर्शित किया गया है, जो कि असत्य है। चूंकि वादपत्र में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्ध कोई वाद कारण प्रदर्शित नहीं किया गया है। जिस कारण वादीगण का उपरोक्त वाद वादकारण के अभाव में प्रथमदृष्टया ही निरस्त होने योग्य है। वादीगण का वादपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–7, नियम–11 के अंतर्गत निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

**3.** वादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति कागज सं0 21सी2 प्रस्तुत कर संक्षेप में यह कथन किया गया है कि वादीगण द्वारा वादपत्र में प्रतिवादी सं0 3 व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्ध विभिन्न चरणों में वर्तमान वाद योजित करने का वाद कारण प्रदर्शित किया गया है। उक्त वाद के आधार पर ही वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वर्तमान वाद में पक्षकार बनाया गया है। इसके अतिरिक्त

प्रतिवादीगण द्वारा कथित प्रार्थनापत्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है कि वादीगण का वाद किस विधि के अंतर्गत किस प्रकार से बाधित है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 को वादपत्र में प्रदर्शित दिल्ली के पते पर ही वर्तमान वाद की तामीली हुई है, जिससे सपष्ट है कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 न्यायालय के समक्ष असत्य कथन कर रहे हैं। कथित प्रार्थनापत्र मात्र दुर्भावनापूर्ण है तथा मात्र वाद को विलम्ब करने तथा वादीगण को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। कथित प्रार्थनापत्र आधारहीन है तथा विधि में पोषणीय नहीं है तथा निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

**4.** उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

**5.** पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रवितादी सं0 1 व 2 को तंग व परेशान करने की नियत से योजित किया गया है। वादीगण को प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई वाद कारण प्रदर्शित नहीं किया गया है तथा वाद कारण के अभाव में वादीगण का वाद आदेश–7, नियम–11 सि0प्र0सं0 के अंतर्गत निरस्त किये जाने योग्य है। इसके विपरीत वादीगण की ओर से आपत्ति में यह कथन किया गया है कि वादीगण द्वारा वादपत्र में प्रतिवादी सं0 3 व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्ध विभिन्न चरणों में वर्तमान वाद योजित करने का वाद कारण प्रदर्शित किया गया है। उक्त वाद के आधार पर ही वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वर्तमान वाद में पक्षकार बनाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा कथित प्रार्थनापत्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है कि वादीगण का वाद किस विधि के अंतर्गत किस प्रकार से बाधित है। कथित प्रार्थनापत्र मात्र दुर्भावनापूर्ण है तथा वाद को विलम्ब करने तथा वादीगण को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है अंत में वादीगण द्वारा कथित प्रार्थना पत्र आधारहीन व बलहीन होने के कारण प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

**6.** जहॉ तक प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में किये गये इस कथन का प्रश्न है कि वादीगण को वर्तमान वाद हेतु कोई वाद का कारण प्राप्त नहीं है तो इस सम्बंध का सुस्थापित सिद्धांत है कि आदेश–7, नियम– 11 सि0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय केवल वादपत्र में किये गये कथनों को देखा जाना होता है। वाद कारण के सम्बंध में यह भी सुस्थापित है कि यह तथ्यों का समूह होता है (Bundle of faces)। वादीगण को प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्ध वाद

कारण प्राप्त है या नहीं इसके सम्बंध में सम्पूर्ण वाद पत्र को देखा जाना है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं0 2 स्वयं को प्रतिवादी सं0 1 व 2 का परिचित व अधिकृत प्रतिनिधि प्रदर्शित कर रहा है एवं अन्य प्रस्तर में भी प्रतिवादीगण द्वारा कार्य किये जाने का उल्लेख किया गया है। ऐसे में सम्पूर्ण वादपत्र के अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में वाद कारण के सम्बंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिस कारण न्यायालय के मत में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्ध वादीगण को वाद कारण प्राप्त है। तद्नुसार प्रतिवादी सं0 1 व 2 का प्रार्थनापत्र कागज सं0 20सी2 निरस्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र कागज संख्या 20सी2 निरस्त किया जाता है एवं वादीगण की आपत्ति निस्तारित की जाती है।

पत्रावली वास्ते जबावदावा/आपत्ति/सुनवाई प्रार्थनापत्र 6ग2 दिनांक 27.05.2023 को पेश हो।

उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना कागज संख्या 6सी2 का शीघ्र निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तद्नुसार पक्षकारों को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र कागज सं0 6सी2 के निस्तारण में अनावश्यक रूप से विलम्ब कारित न करें।

(रवि शंकर मिश्रा)
सीनियर सिविल जज
विकासनगर, देहरादून।

दिनांक–22.05.2023